न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 33/12 **निर्णय दिनांकः–** 4.10.2018

1. हनुमानराम
2. सुरजाराम

पुत्रगण हीराराम जाति जाट निवासीगण नाथवाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. गोरा
2. सावित्री
3. लिछमा

पुत्रियॉ उदाराम जाति जाट निवासी नाथवाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

4. पुष्पा बेवा हीराराम
5. ओमप्रकाश
6. लिछमण

पुत्रगण हीराराम जाति जाट निवासी नाथवाणा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09–11–2016
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर

उपस्थितः

1. श्री सन्तनाथ, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09–11–20006 जिसके द्वारा विधि तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का दावा डिक्री किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम लूणकरनसर के खसरा नम्बर 433 तादादी 26 बीघा जिसके चकबन्दी में चक 258—300 आरडी के मुरब्बा नम्बर 69/22 के किला नम्बर 12 ता 14, 16 ता 18 व मुरब्बा नम्बर 22 व 25 तादादी 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 69/36 के किला नम्बर 12 तादादी 1 बीघा व चक 1 एल. के.डी के मुरब्बा नम्बर 70/58 के किला नम्बर 4 ता 8 तादादी 5 बीघा, 13 ता 15, 17 में तादादी 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 90/2 के किला नम्बर 1 व 2, 9 ता 11 तादादी 5 बीघा व चक 263—200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 69/21 के किला नम्बर 21 ता 23 में 3 बीघा, 69/22 के किला नम्बर 1 में 18 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 69/29 के किला नम्बर 4 ता 6 व 15 में 4 बीघा, मुरब्बा नम्बर 69/38 के किला नम्बर 2 में तादादी 18 बिस्वा व किला नम्बर 3 में 18 बिस्वा व किला नम्बर 4 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 8 व 9 में तादादी 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 69/37 के किला नम्बर 14, 17, 24, 25 में तादादी 4 बीघा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपना हक व हिस्सा त्याग दिया था।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया था तत्समय अपीलांट् संख्या 1 की उम्र मात्र 14 वर्ष की थी व अपीलांट् संख्या 2 की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तनकीयात् तो कायम की गई पर किसी भी तनकी का विस्तृत विवेचन अपने निर्णय में अंकित नहीं किया गया है। तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 पर था जिसको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा साबित नहीं करने की दशा में भी अदालत मातहत द्वारा तनकी को साबित मानकर दावा निर्णय व डिक्री करने में कानूनी गलती की है तथा मामलें में प्रस्तुत शहादत का भी गलत तरीके से विवेचन किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा कारित की गई तनकी संख्या 3 व 4 जो कि

अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ता 6 के जिम्मे थी, परन्तु उक्त तनकी नाबालिग होने के कारण अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर सके ना ही अपीलांट को इस तथ्य की किसी प्रकार से जानकारी थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे नियमानुसार संरक्षक नियुक्त करना चाहिए था ताकि वे प्रकरण में अपने हितों की सुरक्षा कर सकते। वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने भाईयों के पक्ष हक त्याग कर दिया गया था। उक्त हक त्याग के उपरान्त वादगत् भूमि का इंतकाल तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता है। अदालत मातहत के समक्ष तमाम तथ्य प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रृटि कारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 09—11—2006 निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष जैरकार प्रकरण में नियमानुसार तनकीयात कायम करते हुए प्रत्येक तनकी का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए वादीगण/अपीलांट्स को 3/4 हिस्से का कानूनन अधिकारी माना गया है। प्रकरण में अपीलांट/प्रतिवादीगण का मुख्य कथन है कि अपीलांट्स द्वारा वादगत् भूमि पर अपना हक भाईयों के पक्ष में त्याग दिया गया था। जबकि अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मात्र मौखिक कथन से इस तथ्य की ताईद नहीं की जा सकती है। अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत रूप से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में ग्राम रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व 53 व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत वापदपत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादिनी का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि का 3/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अपने भाईयों के पक्ष हक त्याग कर दिया गया था। उक्त हक त्याग के उपरान्त वादगत् भूमि का इंतकाल तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता है। अदालत मातहत के समक्ष तमाम तथ्य प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रृटि कारित की गई है।

(2) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली, उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि उदाराम की खातेदारी भूमि रही है। उदाराम की वंशावली निम्न प्रकार है।

उदाराम
(फौत)

हीराराम (फौत) गौरा सावित्री लिछमा

पुष्पा बेवा ओमप्रकाश हड़मानराम लिछमणराम शिवचन्द

उक्त वंशावली के अवलोकन मात्र से यह तथ्य साबित होता है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 उदाराम की पुत्रियॉ है।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात् कायम की गई। **अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 1 कायम की गई किः— आयाकि वादिया वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित वादागत् भूमि में से प्रत्येक वादीगण 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने तथा किस्म के अनुसार खाता विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड करवाने के हकदार है।**

इसी प्रकार तनकी संख्या 2 कायम की गई कि आया वादीगण मुतनाजा भूमि बाबत् प्रत्येक के 1/4 हिस्सा के बाबत् चिरस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी करवाने का हकदार है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करे जारी करवाने के हकदार है।

उपरोक्त दोनों तनकियों को साबित करने का भार वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 पर था। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा दस्तावेजी रिकार्ड के आधार पर यह अभिलिखित किया गया है कि वादगत् भूमि वादीगण के पिता की भूमि है जिस पर वादीगण 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है। व इसी अनुरूप वादगत् भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 3 का 3/4 हिस्से का इन्द्राज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

उक्त तनकीयात् के संबंध में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण संख्या 788 व प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत् 2051 से संवत् 2055 के अनुसार वादगत् भूमि तुलछा बेवा उदाराम व हीराराम पुत्र उदाराम के नाम दर्ज रिकार्ड है जिससे उक्त भूमि पुश्तैनी होनी पाई जाती है। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में सिद्वा होना पाई जाती है।

(4) अदालत मातहत द्वारा तनकी संख्या 3 कायम की गई कि **आयाकि वादगत् रकबा वादीगण द्वारा अपना हक छोड़ जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड किया गया है। अतः वादिनी अब 1/4 हिस्सा का क्लेम करने की मुश्तहक नहीं है। इसी प्रकार तनकी संख्या 4 कायम की गई कि आया मुतनाजा भूमि पर वादीयान का कभी**

कब्जा काश्त नहीं रहा है। वाद गलत तथ्यों पर पेश किया गया है। जो खारिज योग्य है।

उपरोक्त उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उक्त तनकी को सिद्व नहीं पाया गया। जहॉ तक वादगत् भूमि पर कब्जे काश्त का प्रश्न है चूंकि वादगत् भूमि पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिता की सम्पति में वादीगण बराबर के अधिकारी है ऐसी स्थिति में कब्जे काश्त को साबित करना आवश्यक नहीं है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा उनके सम्मुख प्रस्तुत वादपत्र पर नियमानुसार तनकीयात् कायम करते हुए प्रत्येक तनकी का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन करते हुए आदेश जैर अपील पारित करते हुए यह माना है कि वादगत् भूमि उदाराम के दर्ज रिकार्ड भूमि है जिस पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण वादगत् भूमि पर 3/4 हिस्सा होने की अधिकारिणी पाई जाती है।

(5) ऐसी स्थिति में प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 11 एलकेडी, 263—200 आरडी व 258—300 आरडी में वादीगण संख्या 1 ता 3 का 3/4 हिस्सा मानते हुए खातेदार काश्तकार धोषित करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09—11—2006 उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 4.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर